953

मा0 सर्वोच्च न्यायालय

प्रकरण/समयबद्ध/द्वारा फैक्स

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

संख्याः पांच–111–आर(रिट–1)2014 दिनांक अप्रैल 10 , 2015

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः–रैंकर उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति हेतु आयोजित विभागीय परीक्षा –2011 के आधार पर अर्ह अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की चरित्र पंजिकाएँ उपलब्ध कराये जाने विषयक।

विषयः– उप निरीक्षक नागरिक पुलिस रैंकर के पद पर पदोन्नति हेतु आयोजित विभागीय परीक्षा –2011 के शारीरिक दक्षता परीक्षा में अर्ह व सफल अभ्यर्थियों की चरित्र पंजिकाएँ उपलब्ध कराया जाना।

कृपया उपर्युक्त विषयक पुलिस मुख्यालय के समांक पत्र दिनांक 26–3–2015 का अवलोकन करने की कृपा करें।

2– पुलिस मुख्यालय के उक्त पत्र के साथ अपर सचिव(प्रोन्नति) उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के पत्रांक पीआरपीबी–चार–4(16)/2014, दिनांक 18–3–2015 की छाया प्रति एवं उपनिरीक्षक ना0पु0 रैंकर परीक्षा 2011 में अर्ह 3514 कर्मियों की सूची एवं बोर्ड प्रपत्र–।। (परिशिष्ट–2) भेजते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ से प्राप्त निर्देशों के अनुसार अद्यावधिक चरित्र पंजिका पूर्ण कर एवं बोर्ड प्रपत्र तैयार कर पुलिस मुख्यालय को परिक्षेत्र/इकाई मुख्यालय/पीएसी अनुभाग के कार्यालय के माध्यम से परीक्षणोंपरान्त बाक्स में रखकर सुरक्षित पुलिस मुख्यालय में दिनांक 6.04.2015 तक उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। आपके अधीनस्थ जीआरपी में नियुक्त कर्मियों से दिनांक 6–4–2015 तक उक्त अभिलेख पुलिस मुख्यालय को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध न कराने के कारण पत्र दिनांक 7–4–2015 द्वारा दिनांक 10–4–2015 तक उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया किन्तु आज तक **कहीं से सूचना प्राप्त नही हुई है,** जिसके कारण उच्चाधिकारियों द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। परिणामतः उनके स्तर घोर अप्रसन्नता व्यक्त की जा रही है।

3–– उल्लेखनीय है कि पदोन्नति के पात्रता क्षेत्र में आने वाले कर्मियों की चरित्र पंजिका/सेवाभिलेख पूर्ण कर उपलब्ध कराने के बारे में पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा परिपत्र संख्या–डीजी–परिपत्र –49/2013, दिनांक 29–8–2013 निर्गत करते हुए वार्षिक मंतव्य व सत्यनिष्ठा पूर्ण करने, दण्ड अपील एवं रिवीजन, निलम्बन व अपराध आदि की अद्यावधिक प्रविष्टियॉं/सूचना अंकित करने एवं शासनादेश संख्या–13/21/89–का–1–1997, दिनांक 28–5–1997 के कियान्वयन आदि सभी बिन्दुओं पर समुचित मार्गदर्शन निर्गत किया

गया है। पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के उपरोक्त परिपत्र दिनांक 20–8–2013 की एक प्रति समस्त कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या–पॉच–111(वरिष्ठता)2013, दिनांक 16–1–2015 द्वारा पुनः सुलभ संदर्भ हेतु प्रति भेजी गयी है। यह तथ्य संज्ञान में आया है कि पुलिस मुख्यालय द्वारा इस ओर बार–बार ध्यान आकृष्ट करने के बावजूद जनपदों/इकाईयों द्वारा उक्त परिपत्र में दिये गये मार्गदर्शन के अनुसार चरित्र पंजियॉ एवं सेवाभिलेख पूर्ण कर पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। परिणामतः बोर्ड स्तर पर परीक्षण करने पर चरित्र पंजियों में त्रुटियॉ/कमियॉ विद्यमान रहती है, जिसे पूण्र/सही करने हेतु अनावश्यक पत्राचार में विलम्ब होता है, जिस कारण उच्चाधिकारियों द्वारा घोर असंतोष व्यक्त किया जाता है। अतः अनुरोध है कि अपने अधीन जीआरपी अनुभाग को समुचित निर्देश निर्गत कर दें कि चरित्र पंजियों का परीक्षण पुलिस महानिदेशक द्वारा निर्गत परिपत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर मार्गदर्शन के अनुसार करके अवश्य पूर्ण कराकर ही चरित्र पंजियॉ उपलब्ध करायी जाय। यदि किसी कार्यालय स्तर पर किसी प्रकार के भ्रम की स्थिति हो तो यथावश्यक पुलिस मुख्यालय के अनुभाग–पॉच की सीयूजी नं0 **9454402005 एवं 9454405235 पर वार्ता करके स्थिति स्पष्ट की जा सकती है।**

4– अतः अनुरोध है कि कृपया अपने स्तर से अपने अधीनस्थ जीआरपी अनुभागों को निर्देशित करने की कृपा करें कि अनुभागवार सूचना तैयार कर रेंज स्तर पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा रेंज स्तर पर चरित्र पंजिकाऍ एवं बोर्ड प्रपत्र में सूचनाऍ संकलित की जाय। रेंज स्तर पर संकलित की गयी समस्त सूचनाओं एवं चरित्र पंजियों की जॉच एक राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित कर करा ली जाय तथा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रस्तर 3 में अंकित पुलिस महानिदेशक के परिपत्र के अनुसार चरित्र पंजिकाओं की प्रविष्टियॉ पूर्ण करने के संबंध में समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है। उक्त टीम यह प्रमाण पत्र देंगी कि समस्त चरित्र पंजिकाओं की प्रविष्टियॉ पूर्ण है तथा उपरोक्त परिपत्र के अनुसार समस्त कार्यवाहियॉ पूर्ण कर ली गयी है। रेंज स्तर पर एकत्रित की गयी चरित्र पंजिकाओं और बोर्ड प्रपत्र एवं अन्य अभिलेखों को जीआरपी मुख्यालय स्तर पर संकलित करा लिया जाय तथा परीक्षणोंपरान्त बाक्स में सुरक्षित रखकर 14–4–2015 तक निश्चित रूप से पुलिस मुख्यालय उपलब्ध कराने हेतु अपने स्तर से संबंधित को निर्देशित करने की कृपा करें। इस संबंध में व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

10/4

(भगवान स्वरूप)
पुलिस उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

<u>संख्या तथा दिनांक वहीं</u>

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वे कृपया अपने स्तर से भी उपरोक्तानुसार वॉछित सूचना पुलिस मुख्यालय भेजने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें।

1– अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक, उ0प्र0, लखनऊ।

2– पुलिस महानिरीक्षक,स्थापना, उ0प्र0 लखनऊ।